न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 69/2022

1. अमर सिंह
2. गुलाब सिंह
3. परताब सिंह पिसरान लक्ष्मन सिंह जाति राय सिख निवासी खेडलीअलीमुद्दीन तहसील पहाडी (भरतपुर) राज0

वादीगण

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी जिला भरतपुर

असल प्रतिवादी

2. गुरदीपोबाई
3. चरनो कौर पुत्रीयान लक्ष्मण सिंह
4. दिलीप सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह
5. नामोबाई पत्नी लक्ष्मण सिंह
6. पासो कौर पुत्री लक्ष्मण सिंह
7. सुरजीत सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह
8. सुरजीत कौर पुत्री लक्ष्मण सिंह जाति राय सिख निवासी खेडली अलीमुद्दीन तहसील पहाडी

तरतीवी प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 15,88,89, आर0टी0 एक्ट

उपस्थित :– श्री प्रहलाद सिंह वकील वादीगण

उपखण्ड पहाड़ी (उप जिला कलेक्टर)

दिनांक :– 21/06/2022

निर्णय

वादीगण द्वारा यह दावा अन्तर्गत धारा 15, 88,89, आर0टी0एक्ट इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर साविक 9/0.65, 99/0.70, 109/0.34, 74 मिन/0.08, 122मिन/0.25, 135/0.05, 246 मिन/0.21, 263/0.15, 264 मिन/0.24, 312/62मिन/0.22, हाल खसरा नम्बर 10/0.65, 132/0.70, 148/0.34, 155/0.08, 166/0.25, 187/0.05, 342/0.21, 362/0.15, 363/0.01, 364/0.47, 72/0.22 किता–11 रकबा 3.13 है0 बांके ग्राम खेडली अलीमुद्दीन तहसील पहाडी में स्थित है। यह कि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 8 के हित समान है। वक्त दावा दायरी

उपखण्ड अधिकारी पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण तरतीवी प्रतिवादीगण पक्षकार बनाया गया है। आराजी मुत0 पूर्व में पिता वादीगण लक्ष्मण सिंह पुत्र गंगासिंह के कब्जे काश्त की आराजी थी। लक्ष्मण सिंह ने अपने सम्पूर्ण जीवन काल तक वहैसियत खातेदार काश्तकार के रूप में काश्त की और लक्ष्मण सिंह के मरने के बाद हाल में वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादीगण का कब्जा व काश्त रहा है। इस प्रकार वादीगण की पुश्तैनी आराजी है। जिस पर वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादीगण मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड के कब्जा काश्त है। राजस्थान काश्ततकारी अधिनियम के लागू होने से पूर्व ही वादीगण के बुजुर्गान अपने–अपने हिस्से पर गैर मौरोसी के रूप में काबिज काश्त थे जिन्होने अपने जीवन काल तक वाहैसियत खातेदार काश्तकार के रूप में काश्त की और उनके बाद वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण काबिज काश्त आराजी है । आराजी मुतदाविया पर अब हाल में वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण का कब्जा व काश्त है लेकिन राजस्व रिकॉर्ड वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार दर्ज कर देना चाहिये था। इस प्रकार राजस्व रिकॉर्ड में चले आ रहे गैरखातेदार के इन्द्राज को कलमजन कराकर वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार दर्ज करा पाने के अधिकारी है। वादीगण को दावा पेश करने से पूर्व न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80 (2) जा0दी0 प्रस्तुत कर सरकार के विरूद्ध दावा पेश करने की अनुमति ले ली है। वादीगण विवादित आराजी पर वाहैसियत खातेदार काश्तकार के रूप में काबिज है इसलिए राजस्व रिकार्ड में वादीगण का नाम गैरखातेदार के रूप में दर्ज होता चला आ रहा है। उसे कलमजन किया जाकर वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावें।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ने न्यायालय में उपस्थित होकर दिनांक 24/05/22 को वादीगण के दावा को स्वीकार करते हुये । जबाब पेश किया कि आराजी वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण की पुश्तैनी आराजी है जिस पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व से ही वादीगण बुजुर्गान गैर मौरोसी के रूप में काबिज काश्त थे अब वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त है। मुताबिक कानून वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण को राजस्व रिकॉर्ड में गैरखातेदार के इन्द्राज को कलमजन कर खातेदार दर्ज किया जाना न्यायोचित होगा। उक्त आराजी धारा 16 के तहत नहीं आती है। जिस पर वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड किया जाना न्यायहित में है।

दावा एवं जबाब दावा के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गई ।

तनकी संख्या 1 :– आया आराजी वादीगण की बुजुर्गान की आराजी है।

........वादीगण

तनकी संख्या 2 :– आया आराजी को वादीगण अपने नाम खातेदार दर्ज रिकॉर्ड करा पाने के अधिकारी है।

........वादीगण

3 :– दादरसी ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड पहाड़ी जिला भरतपुर

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में पी0डब्लू0 1 अमर सिंह , पी0डब्लू02 दिलीप सिंह, के शपथ पत्र पेश किये। दस्तावेजी साक्ष्य मे नकल जमाबन्दी सम्वत 2013–16, 2025–28, 2029–32, 2033–37, 2037–40, 2042–45, 2046–49, 2050–53, 2054–57, 2058–61,2066–69, व हाल जमाबन्दी सम्वत 2075–78 व खसरा गिरदावरी सम्वत 2007–10, 2017–20, पेश की।

बहस वकील वादीगण सुनी गई। बहस में वकील वादीगण ने अपने दावे में दर्ज तथ्यों को दोहराया ।

हमने वकील वादीगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। तनकीबार विवेचन निम्नानुसार है।

तनकी संख्या :– 1 आया आराजी वादीगण की बुजुर्गान की आराजी है।

उक्त तनकी को सिद्ध कराने का भार वादीगण पर हैं। पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड एवं जबाब तहसीलदार के मुताबिक आराजी वादीगण की बुजुर्गान की आराजी है। मुताबिक जबाब तहसीलदार नकल खसरा सम्वत् 2007–10 आराजी लक्ष्मण सिंह पुत्र गंगा सिंह के नाम गैर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। पत्रावली में संलग्न नकल जमाबन्दी सम्वत 2013–16 में आराजी वादीगण के पिता लक्ष्मण सिंह पुत्र गंगा सिंह की गैर मौरोसी की आराजी थी। वादीगण के पिता लक्ष्मण सिंह पुत्र गंगा सिंह के गुजरने के बाद अब वादीगण का मुताबिक हिस्सा आराजी पर कब्जा काश्त है। वर्तमान में वादीगण का मुताबिक हिस्सा कब्जा काश्त है। आराजी पर वादीगण के पिता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के लागू होने के पूर्व से ही गैर मौरोसी राजस्व रिकॉर्ड इन्द्राज है। आराजी वादीगण की पुश्तैनी आराजी है। तहसीलदार पहाडी ने भी अपने जबाब में स्वीकार किया है कि आराजी वादीगण की पुश्तैनी आराजी है। ऐसी स्थिति में उक्त तनकी वाहक वादीगण निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या :– 2 आया आराजी को वादीगण अपने नाम खातेदार दर्ज रिकॉर्ड करा पाने के अधिकारी है।

उक्त तनकी को सिद्ध कराने का भार वादीगण पर हैं। पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड एवं जबाब तहसीलदार पहाडी के मुताबिक वादीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के लागू होने से पूर्व ही आराजी पर काबिज काश्त है। आराजी वादीगण की पुश्तैनी आराजी है। वादीगण का कब्जा व काश्त है एवं आराजी धारा 16 के अधीन नहीं आती है। ऐसी स्थिति में आराजी को वादीगण अपने नाम खातेदार दर्ज रिकॉर्ड करा पाने के अधिकारी है। उक्त तनकी वाहक वादीगण निर्णित की जाती है।

3. दादरसी :– तनकी संख्या 1 व 2 वादीगण के पक्ष में निर्णित हो गई है ऐसी स्थिति में दावा वादीगण डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि :–

दावा वादीगण डिक्री किया जाकर वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण को आराजी खसरा नम्बर साविक 9/0.65, 99/0.70, 109/0.34, 74 मिन/0.08, 122मिन/0.25, 135/0.05, 246 मिन/0.21, 263/0.15, 264 मिन/0.24, 312/62मिन/0.22, हाल खसरा नम्बर 10/0.65, 132/0.70, 148/0.34, 155/0.08, 166/0.25, 187/0.05, 342/0.21,

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

362/0.15, 363/0.01, 364/0.47, 72/0.22 किता–11 रकबा 3.13 है0 बांके ग्राम खेडली अलीमुद्दीन तहसील पहाडी पर गैरखातेदार के स्थान पर मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पूर्व में चले आ रहे गैरखातेदार के इन्द्राज को कलमजन किये जाने की आज्ञा दी जाती है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21/06/2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड पहाडी
(उप जिला भरतपुर)

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (भरतपुर)

उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

डिगरी व मुकदमे इब्तदाई
(ओ0 20 रू0 6–7 जाप्ता दीवानी)
[Civil Procedure Code Appendix D-I]

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम पहाडी भरतपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 69/2022

1. अमर सिंह
2. गुलाब सिंह
3. परताब सिंह पिसरान लक्ष्मन सिंह जाति राय सिख निवासी खेडलीअलीमुद्दीन तहसील पहाडी (भरतपुर) राज0

वादीगण

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी जिला भरतपुर

असल प्रतिवादी

2. गुरदीपोबाई
3. चरनो कौर पुत्रीयान लक्ष्मण सिंह
4. दिलीप सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह
5. नामोबाई पत्नी लक्ष्मण सिंह
6. पासो कौर पुत्री लक्ष्मण सिंह
7. सुरजीत सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह
8. सुरजीत कौर पुत्री लक्ष्मण सिंह जाति राय सिख निवासी खेडली अलीमुद्दीन तहसील पहाडी

तरतीवी प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 15,88,89, आर0टी0 एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूवरू मुझ संजय गोयल आर0ए0एस0 ....व हाजिरी वकील वादी मिनजानिव वकील प्रतिवादीगण X मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि व डिगरी दी जाती है कि अतः आज्ञा है कि वादीगण डिक्री किया जाकर वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण को आराजी खसरा नम्बर साविक 9/0.65, 99/0.70, 109/0.34, 74 मिन/0.08, 122मिन/0.25, 135/0.05, 246 मिन/0.21, 263/0.15, 264 मिन/0.24, 312/62मिन/0.22, हाल खसरा नम्बर 10/0.65, 132/0.70, 148/0.34, 155/0.08, 166/0.25, 187/0.05, 342/0.21, 362/0.15, 363/0.01, 364/0.47, 72/0.22 किता–11 रकबा 3.13 है0 बांके ग्राम खेडली अलीमुद्दीन तहसील पहाडी पर गैरखातेदार के स्थान पर मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पूर्व में चले आ रहे गैरखातेदार के इन्द्राज को कलमजन किये जाने की आज्ञा दी जाती है।

आज ..... X .... मुबलिग .... X ....खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शहर ....X .... को सर्दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी .... X ....तक अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख21 /06/ सन् 2022 को जारी की गई ।

दस्तखत ....
ओहदा ....

मुहर

उपखण्ड अधिकारी पहाड़ी (भरतपुर)

मुद्दई		रूपया	पैसा	मुद्दालय		रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	....	2.00		स्टाम्प अरजीदावा	....		
स्टाम्प वकालतनामा	....	1.00		स्टाम्प वकालतनामा	....		
स्टाम्प वजह सबूत	....	1.00		स्टाम्प वजह सबूत	....		
महनताना वकील)पर	.....			महनताना वकील)पर	.....		
खर्चा गवाहान	.....			खर्चा गवाहान	.....		
फीस कमिश्नर	......			फीस कमिश्नर	......		
बबत इजराय हुक्मनामा	.....			बबत इजराय हुक्मनामा	.....		
मुतफर्रिक	.....			मुतफर्रिक	...		
मीजान	....	4.00		मीजान	....		

Scanned with OKEN Scanner